न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 137/2022

लीलाधर पुत्र कालूराम, जाति माली, निवासी खेमी सती मंदिर के पास, वार्ड नम्बर 51, झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

– – –

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांक 17.01.2011 भूमि खसरा नम्बर 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2562, 2563, 2568 स्थित वाके कस्बा झुंझुनूं।

– – –

उपस्थितः–

1. श्री लोकेश कुमार, अभिभाषक– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांक 17.01.2011 भूमि खसरा नम्बर 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2562 2563, 2568 स्थित वाके कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार कस्बा झुंझुनूं मे कालूराम पुत्र लेखूराम नाम का एक व्यक्ति था जिसके चार पुत्र बनवारी, गोकुल, छगन व लीलाधर थे। कालूराम के जीवनकाल मे उसने अपनी भूमि को उनके पुत्रान् मे बंटवारा कर दिया परन्तु बनवारीलाल जो कि कालूराम का बडा पुत्र था उसने कालूराम के जीवनकाल मे ही अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय कर दिया। बनवारीलाल ने अपने हिस्से की भूमि शिवकुमार नाम के व्यक्ति को विक्रय कर दी गई थी चूंकि उस समय भूमि बनवारी के पिता कालूराम के नाम से थी और कालूराम जीवित था। उस समय बनवारीलाल को रूपयों की आवश्यकता थी इसलिए उसने अपने पिता के जरिये दिनांक 04.10.1978 को 2 बीघा 1 बिस्वा पुख्ता एवं दिनांक 26.03.1978 को 2 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता भूमि शिकुमार पुत्र नेतराम जांगिड को विक्रय की थी तथा एक अन्य विक्रय पत्र ओमप्रकाश पुत्र पुष्करलाल जांगिड एवं विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल दीक्षित निवासी अलसीसर के हक मे 16 बिस्वा पुख्ता भूमि विक्रय की जिसका नामान्तरकरण संख्या 1541 के जरिये केता के हक मे नाम दर्ज है। इस प्रकार तीनों विक्रय पत्रों के द्वारा कुल 5 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता भूमि विक्रय कर दी गई। कालूराम के हिस्से मे आई कुल भूमि 15 बीघा 6 बिस्वा मे से विक्रय की गई भूमि कम करने पर शेष बची [illegible] बीघा 19 बिस्वा पुख्ता भूमि खाते मे शेष रही जिसमे बनवारी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया। चूंकि कालूराम की मृत्यु के बाद फौती अन्तकाल मे बनवारी का नाम भी सहवन से दर्ज हो गया और बनवारी की मृत्यु के बाद उसकी बेवा शांति देवी व पुत्रगण [illegible] नवलकिशोर, [illegible]लाल, प्रमोद एवं दो पुत्रियों चुकी देवी व सीता देवी के नाम फौती अन्तकाल के जरिये रिकार्ड मे दर्ज किया गया परन्तु अब बनवारीलाल के वारिसान का नाम रिकार्ड मे होने से वे उक्त रिकार्ड का गलत फायदा उठा कर वे भूमि को विक्रय करने पर आमदा है। उक्त नामान्तरकरण बिना कब्जे व बिना अधिकार के दर्ज हुआ है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व निम्न प्रकार से अपील पेश की जा रही है। कि तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांक 17.01.2011 को बिना कब्जा के भरा है। बनवारीलाल की मृत्यु दिनांक 12.04.2008 को हुई थी और उसका नामान्तरकरण दिनांक 17.01.2011 को तस्दीक हुआ है। जैसा कि राजस्थान लैण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:12 IST
Reason: SelfAttested

रेवन्यू एक्ट की धारा 133 मे यह व्यवस्था है कि किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण पटवारी द्वारा कब्जे की जांच करने के बाद मृत्यु के तीन माह के अन्दर मृतक के उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है परन्तु बनवारी की मृत्यु के बाद तीन माह मे नामान्तरकरण तस्दीक नही हुआ। क्योंकि बनवारीलाल का इस जमीन मे कब्जा नही था। इसलिए उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व है। बनवारीलाल के वारिसान मे उनके एक लडकी सन्तोष देवी भी है। अगर बनवारीलाल का विवादित जमीन पर कब्जा होता तो उनके सम्पूर्ण वारिसों के नाम से नामान्तरकरण भरा जाता परन्तु एक लडकी को छोड कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। इस कारण भी उक्त नामान्तरकरण अवैध है। उक्त नामान्तरकरण पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर भरा गया है। जबकि पार्षद किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नही दे सकता। इसके अलावा पक्षकारान् ने उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के यहां एक बंटवारे का वाद संख्या 51/06 शीर्षक ख्यालीराम बनाम सांवरमल पेश हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 21.01.2013 को हुआ था और इस वाद मे बनवारीलाल पुत्र कालूराम वादी नं0 8 के रूप मे दर्ज किया गया था जिसमे बनवारी ने उक्त वाद पत्र की प्लीडिंग मे अपने हिस्से की भूमि पर उसका कब्जा नही होना दर्शित किया गया था और अपने हिस्से की भूमि को उनके भाइयों के हक मे त्याग करना दर्ज किया था और उनके नाम से कोई भूमि बंटवारे मे नही दी गई। इस प्रकार उक्त नामन्तरकरण बिना कब्जे के आधार पर तस्दीक हुआ है। अगर बनवारीलाल की मृत्यु के बाद तहसीलदार विधिवत् रूप से मौके पर जाकर कब्जे की जांच करवाता तो वास्तव मे बनवारीलाल के वारिसान के नाम से कब्जा नही पाया जाता। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर मौके पर कब्जे व वारिसान की सही जांच करके पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांक 17.01.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः तहसीलदार को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि बनवारीलाल के वारिसान की मौके पर कब्जे की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे और अगर मौके पर बनवारीलाल के वारिसान का कब्जा नही है तो कार्यवाही ड्राप रखी जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांक 17.01.2011 को बिना कब्जे के भरा है। बनवारीलाल की मृत्यु दिनांक 12.04.2008 को हुई थी और उसका नामान्तरकरण दिनांक 17.01.2011 को तस्दीक हुआ है। जैसा कि राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 133 मे यह व्यवस्था है कि किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण पटवारी द्वारा कब्जे की जांच करने के बाद मृत्यु के तीन माह के अन्दर मृतक के उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है परन्तु बनवारी की मृत्यु के बाद तीन माह मे नामान्तरकरण तस्दीक नही हुआ। क्योंकि बनवारीलाल का इस जमीन मे कब्जा नही था। बनवारीलाल के वारिसान मे उनके एक लडकी सन्तोष देवी भी है। अगर ब[illegible] पर कब्जा होता तो उनके सम्पूर्ण वारिसों के नाम से नामान्तरकरण भरा ज[illegible] एक लडकी को छोड कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। [illegible] कब्जे, रिकार्ड व वारिसान की जांच के बगैर भरा गया है। अगर बन[illegible]दार विधिवत् रूप से मौके पर जाकर कब्जे की जांच करवा[illegible]रीलाल के वारिसान के नाम से कब्जा नही पाया जाता। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर मौके पर कब्जे व वारिसान की सही जांच करके पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांक 17.01.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः तहसीलदार को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि बनवारीलाल के वारिसान की मौके पर कब्जे की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे और अगर मौके पर बनवारीलाल के वारिसान का कब्जा नही है तो कार्यवाही ड्राप रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:12 IST
Reason: SelfAttested

A4/3

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके कस्बा झुंझुनूं के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1888 दिनांकित 17.01.2011 का नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम झुंझुनूं स्थित भूमि खसरा नम्बर 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2562, 2563, 2568 का नामान्तरकरण सं0 1888 दिनांक 17.01.2011 भरते समय स्व0 बनवारी लाल के वारिसान के रूप मे उसकी पुत्री संतोष देवी को उसके हक से वंचित किया गया है जो उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 17.01.2011 निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे वारिसान, रिकार्ड एवं विवादित भूमि के मौके की जांच कर उभय पक्षकारों को सुना जाकर एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:12 IST
Reason: SelfAttested